निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट
## असाधारण अंक
## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**16 आश्विन 1937 (श0)**

**(सं0 पटना 1189) पटना, वृहस्पतिवार, 8 अक्तूबर 2015**


### बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

**अधिसूचना**

**19 अगस्त 2015**

सं० 1580—**लखीसराय जिलान्तर्गत ग्राम+पो–डुमरी, थाना–बड़हिया, स्थित श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी** पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0 3712 है।

इस न्यास की सुव्यवस्था हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक–381, दिनांक 12/06/2007 द्वारा 11 सदस्यों की एक न्यास समिति का गठन पांच वर्षों के लिए किया गया था। वर्त्तमान में इस न्यास समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया है।

अंचल पदाधिकारी, बड़हिया ने अपने पत्र सं0 449, दिनांक 13/06/12 द्वारा पर्षद को सुचित किया कि, आम जनता द्वारा मांग किया गया है कि न्यास की भूमि डाक करने से पहले, नयी न्यास समिति का गठन कर लिया जाय तथा सचिव को हटाया जाय। पर्षदीय पत्रांक–631, दिनांक 05/07/12 द्वारा पदेन अध्यक्ष अंचल पदाधिकारी, बड़हिया से समिति गठन हेतु स्वच्छ छवि के अधिकतम 11 सदस्यों की मांग की गयी, जिसके आलोक में अंचल पदाधिकारी, बड़हिया ने अपने पत्र सं0 656, दिनांक 18/08/12 द्वारा कुल 11 व्यक्तियों का नाम पता, पदनाम के साथ भेजी गयी, परंतु इस पत्र में अध्यक्ष पद दर्शाया नहीं गया, तदुपरांत पर्षदीय पत्रांक–2213, दिनांक 08/03/14 द्वारा अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं सदस्य के पद नाम क साथ ग्यारह सदस्यों की नाम मांगी गयी, जिसके आलोक में अंचल पदाधिकारी, बड़हिया ने अपने पत्र सं0 1081, दिनांक 15/11/14 द्वारा सुचित किया कि ''अंचल कार्यालय के पूर्व पत्र–656, दिनांक 18/08/12 के नामित व्यक्ति को बरकरार रखते हुए अध्यक्ष पद पर अंचल पदाधिकारी, बड़हिया को रखा जा सकता है।''

वर्त्तमान में न्यास समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और सचिव–जिच्छा सिंह, ग्रामीणों में शिकायत के पात्र हैं।

सचिव– जिच्छा सिंह की न्यास समिति का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाने की स्थिति में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनिम की धारा–29 (2) के तहत विघटित कर, 11 सदस्यों की नयी न्यास समिति का गठन करते हुए अधिनियम की धारा–32 के तहत एक योजना का निरूपण एवं इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा–32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं0 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए ''**श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी,**

**ग्राम+पो0–डुमरी, थाना–बड़हिया, जिला–लखीसराय**'' के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है ।

**योजना**

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी न्यास योजना,** ग्राम+पो0– डुमरी, थाना–बड़हिया, जिला–लखीसराय'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी न्यास समिति,** ग्राम+पो0–डुमरी, थाना–बड़हिया, जिला–लखीसराय'' होगा, जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को न्यास समिति गठित की जाती हैः–

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | अंचल पदाधिकारी, बड़हिया | – | अध्यक्ष |
| (2) | श्री अनिल सिंह | – | सचिव |
| (3) | श्री रमेश कुमार | – | कोषाध्यक्ष |
| (4) | श्री उपेन्द्र सिंह | – | उप सचिव |
| (5) | श्री उदय सिंह | – | सदस्य |
| (6) | श्री प्रमोद सिंह | – | सदस्य |
| (7) | श्री मुसन पासवान | – | सदस्य |
| (8) | श्री मुसन राम | – | सदस्य |
| (9) | श्री शंकर सिंह | – | सदस्य |
| (10) | श्री अरूण सिंह | – | सदस्य |
| (11) | श्री धर्मेन्द्र सिंह | – | सदस्य |

सभी निवासी– ग्राम–डुमरी, बड़हिया, जिला– लखीसराय।

12. इस न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्ष तक लागू रहेगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा एवं कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर न्यास समिति भंग की जा सकती है।

आदेश से,
**किशोर कुणाल,**
अध्यक्ष।

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,**
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**
**बिहार गजट (असाधारण)** 1189-571+10-**डी0टी0पी0।**
**Website: http://egazette.bih.nic.in**